National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.nationaljournals.com
ISSN: 2455-9040
Received: 24-07-2021, Accepted: 10-08-2021, Published: 25-08-2021
Volume 6, Issue 3, 2021, Page No. 05-07

उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में राजस्व पुलिस की भूमिका

जीवन चन्द्र परगॉई
वैयक्तिक सहायक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग, एम.ए. (लोक प्रशासन), उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखंड, भारत

सारांश
उत्तराखंड भारत संघ के हिमालयी राज्यों की श्रेणी में 11वां राज्य है। उत्तर प्रदेश के अलग होकर 01 नवम्बर, 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में इसमें 13 जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल हैं। जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर एवं आंशिक रूप से नैनीताल मैदानी जनपदों की श्रेणी में आता है। अन्य नौ जनपद पर्वतीय जनपदों की श्रेणी में सम्मिलित हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां भिन्न होने के कारण प्राचीन काल से ही यहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी भिन्न हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड देश का एक मात्र राज्य है जहां राजस्व पुलिस की व्यवस्था को लागू किया गया है। इस लेख के माध्यम से उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में प्रशासन एवं कानून व्यवस्था की इसी इकाई का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है जो विभिन्न स्तरों पर प्रशासन की धुरी होने के बावजूद भी भारी उपेक्षा की शिकार होती रही है।
उद्देश्यः राजस्व पुलिस के माध्यम से उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ना केवल राजस्व वसूली, अनुशासन एवं अपराध को नियंत्रित करना है। बल्कि केन्द्र व राज्य की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के साथ ही आम जनमानस तक इसका लाभ पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण मुक्त भारत, कोरोना संक्रमण से बचाव जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर उत्तम एवं उन्नत उत्तराखंड के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना है। किसी भी स्थिति में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की उपेक्षा करना न केवल प्रशासनिक सुधार की नीतियों के खिलाफ है बल्कि एक आदर्श राज्य के रूप में सुशासन के लिए भी घातक है। पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व कार्मिकों को पुलिस को अतिरिक्त कार्यभार गया है। अतिरिक्त दायित्व के रूप में काम का अधिक दबाव, सुविधाएं व संसाधनों के न होने से राजस्व पुलिस के कार्मिक स्वयं को आर्थिक, सामाजिक रूप से उपेक्षित महसूस करते है। सम्पूर्ण देश में राजस्व विभाग के कार्मिक प्रशासन की धुरी है। जिसके बगैर किसी भी योजना को आम जनमानस तक पहुंचाकर उसका लाभ दिलाना संभव नहीं है। अतः इस लेख का उद्देश्य उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में राजस्व पुलिस के रूप में कार्यरत कर्मिकों की विशेष भूमिका को उजागर करते हुए एक कार्मिक के रूप में उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्दः राजस्व पुलिस, राजकीय तंत्र, कार्मिक, उत्तराखंड, प्रशासन, योजनाएं, जनकल्याण

प्रस्तावना
उत्तराखंड में राजवंश काल से ही प्रशासन की बुनियादी इकाई पट्टी थी। तब इसे सिर्फ राजस्व अधिकार ही प्राप्त थे। बाद ब्रिटिश काल में प्रशासन को कम खर्चीला एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राज्य में काफी प्रशासनिक बदलाव किये गये। इसी क्रम में 1866 में जब सम्पूर्ण देश में राजस्व का स्थान पर सिविल पुलिस ले रही थी, तो तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे ने पर्वतीय क्षेत्र पर सिविल पुलिस के निर्णय लागू नहीं होने दिया। इस पर्वतीय क्षेत्र को ही वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं कमिश्नर के निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए एक अंग्रेजी अधिकारी वैकेट ने राजस्व पुलिस की स्थापना की और इस व्यवस्था के केन्द्र में पटवारी को रखा। जिसमें वैधानिक रूप से पटवारी के 16 पदों को सृजित किया गया। जिसमें उसे पुलिस, अपराध नियंत्रण, राजस्व संग्रह, भू–अभिलेख सत्यापन समेत भू अभिलेखों के रखरखाव का काम दिया गया।
पुलिस के अधिकार मिलने के कारण पटवारी को आम बोलचाल की भाषा में राजस्व पुलिस कहा जाने लगा। जो आज कतिपय रूप पर उत्तराखण्ड के प्रशासन में व्यवहारिक तौर पर देखने को मिलता है। पटवारी का एक कार्यालय होता था जिसे पटवारी या राजस्व पुलिस चौकी कहते थे। क्षेत्र मे आपराधिक घटना होने पर सबसे पहली सूचना राजस्व पुलिस को दी जाती थी। जिससे न केवल बेहतर सूचना तंत्र विकसित हुआ बल्कि नीति निर्माता के रूप तत्कालीन कमिश्नर रैमजे की आकांक्षाओं के अनुरूप आदर्श प्रशासन भी उभर कर सामने आया।
आर्थिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से यह एक सफल एवं लोकप्रिय निर्णय था। क्योंकि पहाड़ों में आपराधिक गतिविधियां न के बराबर थी। इस व्यवस्था पर ट्रेल ने कहा ''इस प्रान्त में चोरी का नितान्त अभाव और लोगों की परम नैतिकता को देखते हुए किसी भी प्रकार की पुलिस व्यवस्था अनावश्यक समझी जायेगी''। पर्वतीय क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन का दायित्व मुख्य रूप से पटवारी, पेशकार आदि राजस्व अधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया गया। रैमजे ने इस व्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा ''मैं समझता हूँ कि हमारी ग्रामीण राजस्व पुलिस प्रशासन व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में सर्वोत्तम है। इसमे परिवर्तन करना समझदारी नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व पुलिस बहुत कम खर्चीली है, क्योंकि सरकार को उस पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। भाबर पुलिस (वर्तमान का पुलिस विभाग) की भांति वेतनभोगी पुलिसकर्मियों के खर्चे से होने वाला आर्थिक भार व अन्य समस्याऐं भी इसमें नहीं हैं। ये व्यवस्था आज भी उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में लागू है। राजस्व पुलिस में पटवारी को वे सभी अधिकार प्राप्त है जो पुलिस के हैं, इन अधिकारों में कानून व्यवस्था बनाना, मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तारी और आपराधिक गतिविधियों पर नजर बनाये रखना, जांच करना आदि शामिल हैं।

वर्तमान स्थिति
जपनद देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं आंशिक रूप से नैनीताल जनपद को छोड़ दे तो वर्तमान में भी उत्तराखण्ड के सभी पर्वतीय जनपद पट्टियों में विभक्त होता हैं। तथा पटवारी राजस्व

पुलिस के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है। वह राजस्व कार्यों से साथ ही पुलिस का काम भी उसी प्रकार क्रियान्वित कर रहा है जिस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में करता था। वर्तमान में उत्तराखण्ड में 12 हजार से अधिक राजस्व ग्रामों में 1225 राजस्व पुलिस चौकियां स्थापित है।

तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में राजस्व पुलिस की जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में पर्वतीय क्षेत्रों में भी पुलिस प्रशान की आवश्यकता हो गई है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए राज्य की स्थानीय पार्टी उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी ने पर्वतीय क्षेत्रों में भी पुलिस व्यवस्था लागू करने की मांग की। इस दल के केन्द्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी के अनुसार – पर्वतीय क्षेत्रों में 60 प्रतिशत भू–भाग पर काम करने वाली राजस्व पुलिस पर मानव संसाधन एवं वेतन भत्तों के लिए राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं कर रही है। प्रशिक्षण एवं संसाधनों के अभाव में राजस्व पुलिस काम करती है ऐसी स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती।

तत्कालीन समय में राजस्व पुलिस का कार्य सीमित था। जनसंख्या कम थी एवं विभागीय स्तर पर भी अधिक जिम्मेदारियां नहीं थी। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां भिन्न है। जनसंख्या अनियंत्रित होने के साथ–साथ राजस्व पुलिस का कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है। जन कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी राजस्व पुलिस पर ही है। वर्तमान युग तकनीकी का युग है। प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करते हुए ससमय उसकी स्थिति से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराना पड़ता है। किन्तु राजस्व पुलिस के पास अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए पर्याप्त तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। अपने कार्यों का निर्वाहन करने के लिए कई बार राजस्व पुलिस अपने निजी संसाधनों का उपयोग करती है। ऐसी स्थिति में उसकी जेब पर अतिरिक्त भार पड़ता है। सरकार की उदासीनता कहें या प्रशासनिक तंत्र की नाकामी की इतने महत्वपूर्ण पद के लिए आज तक इंटरनेट, कम्प्यूटर, प्रिंटर जैसी न्यूनतम तकनीकी सुविधा नहीं है।

उत्तराखण्ड में वर्ष 2011 सेवा के अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राजस्व विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों से किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति पदाभिहित को आवेदन करेगा। पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दिए गए समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन पत्र को खारिज करेगा तथा आवेदन पत्र को खारिज करने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप से अभिलाक्षित करेगा और उससे आवेदक को सूचित करेगा। किन्तु उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में राजस्व पुलिस के संबंध में यह अधिनियम प्रायौगिक तौर पर सफल सिद्ध नहीं हो पाया। विषम भौगोलिक परिस्थितियों, दैवीय आपदाओं, अतिरिक्त काम का दबाव एवं संसाधनों के अभाव में कतिपय तौर पर अधिनियम द्वारा तय समय सीमा का उल्लंघन हो जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड एक हिमालयी क्षेत्र में बसा राज्य है। जहां प्राकृतिक आपदाएं होना सामान्य है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाली भौतिक हानि, पशुधन एवं जानमाल के नुकसान का प्राथमिक रूप से अवलोकन राजस्व पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में कभी–कभी संचार के सभी माध्यम क्षति ग्रस्त हो जाते है। जिससे राजस्व पुलिस की व्यवस्था एवं सेवा दोनों प्रभावित होती हैं। घर परिवार से दूर जन सेवक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए राजस्व पुलिस को कई बार अपने पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से भी समझौता करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मानसिक और शारीरिक रूप से अनेक दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है। दोहरी जिम्मेदारी के रूप में अनगिनत कार्य होने के नाते राजस्व पुलिस को अक्सर अपने मूल कर्तव्यों का निर्वाहन करने में देरी होती हैं। ऐसी स्थिति में जनता एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों का अतिरिक्त दबाव भी उन्हें झेलना पड़ता है। सामान्य प्रशासन, आपदा एवं महामारी में भी राजस्व पुलिस को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। ना चाहते हुए भी कई बार संसाधनों एवं सुविधाओं के अभाव में वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होता है। जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विभिन्न पेंशन प्रमाण पत्रों समेत कई आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन एवं जांच रिपोर्ट का कार्य पर्वतीय जनपदों में राजस्व पुलिस के माध्यम से ही होता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में चल रही केन्द्र व राज्य की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए भी पात्र आवेदक को राजस्व पुलिस द्वारा ही सत्यापित किया जाता है। सत्यापन के कार्य की व्यस्तता के कारण राजस्व चौकी अक्सर खाली पड़ी रहती है। किसान, काश्तकार, छात्र समेत तमाम लोग किसी न किसी रूप में आवेदक बनकर उसके कार्यालय में चक्कर लगाते है लेकिन काम का अतिरिक्त दबाव होने के कारण उन्हें राजस्व पुलिस उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आम जनमानस को जो परेशानी होती है उससे प्रशासनिक व्यवस्था की छवि खराब होती है।

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों राजस्व पुलिस की विशेष भूमिका है। इसके बगैर पर्वतीय जनपदों के विकास एवं प्रशासनिक गतिविधियों की कल्पना नहीं की जा सकती। यह ना केवल राजस्व एवं पुलिस विभाग के साथ बेहतर प्रशासन में अपनी भूमिका निभाती है, बल्कि जनपद स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक कई विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वाहन करती है। यकीनन तत्कालीन कुमाऊँ कमिश्नर रैमजे की राजस्व पुलिस की यह व्यवस्था सरकार की बहूउद्देशीय योजनाओं को धरातल तक लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो प्रशासनिक नजरिये से उत्तराखण्ड के पर्वतीय राज्यों का स्थान पहले की तरह सीमित नहीं है। कृषि, पशुपालन जैसे पारम्परिक व्यवसायों के साथ साथ अब वहां पर्यटन एवं एडवेंचर्स जैसे आधुनिक व्यवसाय भी स्थापित हुए हैं। छोटे–छोटे कारोबार करने के लिए हजारों लोग उत्तराखण्ड के पर्वतीय राज्यों में बस रहे हैं। इनकी सामाजिक सुरक्षा का भार भी राजस्व पुलिस पर ही है। राजस्व पुलिस व्यवस्था के गठन से अब तक राज्य में अपार जनसंख्या वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही राजस्व पुलिस का प्रशासनिक एवं सेवा क्षेत्र बढ़ा है। किन्तु पर्याप्त संसाधन एवं सुविधाएं न होने के अभाव में राजस्व पुलिस उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों के लिए नाकाफी है। एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सरकार को बुनियादी स्तर बड़े बदलाव की जरूरत है। वर्तमान समय की मांग है कि राजस्व पुलिस की नीतियों में बदलाव लाकर उसका कार्य क्षेत्र सीमित किया जाए। अन्यथा राज्य के मैदानी जनपदों की भांति पुलिस व्यवस्था सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू की जाए। राजस्व पुलिस की व्यवस्था तत्कालीन समय में बेहतर एवं कम खर्चीली थी, लेकिन आज के संदर्भ में इसका कार्य क्षेत्र पहले की अपेक्षा काफी विस्तृत हो गया है। वर्तमान में उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में भी ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है जो राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कार्यों को स्पष्ट करें। इस स्थिति में जहां एक ओर कार्मिकों के ऊपर से अतिरिक्त कार्य का भार कम होगा वहीं दूसरी ओर सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 भी अपने उद्देश्यों के क्रम में लागू हो पायेगा। लोक प्रशासन के केन्द्र में जनता होती है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से यदि जनता ही संतुष्ट न हो तो उनके होने का कोई औचित्य ही नहीं है। राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था को अमल में लाना चाहिए जिससे आम जनमानस को सुविधा मिले और राज्य के पर्वतीय जनपदों में विकास के साथ–साथ एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था निर्माण हो सके।

संदर्भ सूची

1. उत्तराखण्ड में राज्य प्रशासन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
2. उत्तराखण्ड एक दृष्टि में, अर्थ एवं संख्या निदेशालय
3. उत्तराखण्ड सामान्य अध्ययन, केसरी नन्दन त्रिपाठी
4. उत्तराखण्ड का इतिहास, बद्री दत्त पाण्डे
5. कुमाऊँ का इतिहास, बद्री दत्त पाण्डे
6. नाण्हवअण्पद
7. revenue.uk.gov.in
8. gazettes.uk.gov.in